न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश मेहरा आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 36/2024 अपील

1. रमेश पुरी पुत्र नाथू पुरी गुसांई निवासी मानगंज तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा –अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये नायब तहसीलदार माण्डलगढ जिला भीलवाडा

अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार माण्डलगढ प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक 30.05.2024

उपस्थित –

1. श्री रमेश चन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. राजकीय अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

निर्णय

दिनांक 28.08.2025

अपीलार्थी की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम मानगंज तहसील माण्डलगढ की आराजी संख्या 150 रकबा 0.091 हैक्ट. किस्म चारागाह भूमि पर अपीलार्थी का अतिक्रमण मानते हुए पटंवारी हल्का की रिपोर्ट पर नोटिस दिनांक 28.05.2024 को जारी किया गया एवं दिनांक 30.05.2024 को निर्णय पारित कर दिया गया जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त योग्य हैं। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 30.05.2024 को जवाब मय दस्तावेज पेश किये किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की सर्वथा अनदेखी कर निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य हैं। ग्राम पंचायत धाकडखेडी के पटटा संख्या 04 पर पटटेधारी भूरालाल धाकड के नाम पर था। भूरालाल की मृत्यु उपरांत उक्त पटटा नन्दा धाकड के पुत्र मांगीलाल धाकड ने दिनांक 31.12.2021 को अपीलार्थी के नाम हस्तान्तरण प्रलेख अपीलार्थी के पक्ष में कर दिया। तभी से अपीलार्थी का कब्जा चला आ रहा हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी दस्तावेजों को परीक्षण नही करके जल्दबाजी में निर्णय पारित किया हैं जो निरस्त योग्य हैं। उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 15.07.2024 को हुयी। धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश हैं। निवेदन हैं कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

अति जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी के विरूद्व उक्त आदेश पारित किया हैं जो सही हैं। उक्त भूमि नियमन योग्य नही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित किया हैं जो सही है। निवेदन हैं कि अपीलार्थी की अपील खारिज की जावे।

पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया और बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अधीनस्थ न्यायालय के आदेश एवं अन्य दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिसके उपरान्त यह पाया कि अपीलार्थी स्वयं ने अपनी अपील मेमों में अंकित किया हैं कि वादग्रस्त आराजी वर्तमान में चारागाह दर्ज रिकार्ड हैं तथा पटटे के आधार पर अपीलार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा हैं। इससे यह स्पष्ट जाहिर होता हैं कि अपीलार्थी ने अतिचार करके चारागाह भूमि पर कब्जा कर रखा हैं जो विधि विरूद्व हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक 30.05.2024 में जो निर्णय पारित किया गया हैं उसमें कोई त्रुटि प्रतीत नही होती हैं। अपीलाण्ट की अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार किये जाने योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं आधारहीन होने से अस्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 01/2024 निर्णय दिनांक 30.05.2024 में पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश मेहरा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा